राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा. / ग्रुप–2 / 2023 जयपुर, दिनांक : 03.03.2023

आ दे श

डा. दिनेश कुमार अग्रवाल, प्रमुख विशेषज्ञ (ईएनटी), राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर के द्वारा राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर के स्टोर इंचार्ज के रूप में त्रुटिपूर्ण ओपीडी स्लीप क्रय करते हुए इन ओपीडी स्लीप के माध्यम से राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं जैस चिरंजीवी आदि के स्थान पर अन्य योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने के दोषी पाये जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. दिनेश कुमार अग्रवाल, प्रमुख विशेषज्ञ (ईएनटी), राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर को राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डा. दिनेश कुमार अग्रवाल, प्रमुख विशेषज्ञ (ईएनटी) का निलम्बन अवधि में मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. अग्रवाल को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
3– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4– निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5– शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग को अशा टीप क्रमांक : प.1(17)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2005 दिनांक 03.03.2023 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि डा. अग्रवाल के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।
6– निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति पंजिका में डा. अग्रवाल की उपस्थिति दर्ज करावें।
7– अधीक्षक, राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर
8– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन, जयपुर
9– डा. दिनेश कुमार अग्रवाल, प्रमुख विशेषज्ञ (ईएनटी), राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर को निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर के माध्यम से पालनार्थ
10– कम्प्यूटर सेल
11– निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव